सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02

सोमवार, दिनांक-28 फरवरी, 2022 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.37 बजे पूर्वा० तक ।

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान से प्रारंभ हुई ।

[1] आसन की सूचना :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान अधिवक्ता, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और भारतरत्न से सम्मानित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद जी की पुण्य तिथि है । उनके संबंध में कहा गया कि वे सादगी, सरलता और विद्वता के प्रतिमूर्ति थे । राष्ट्रपति भवन का राजसी वैभव भी उन्हें छू नहीं पाया था । वह मेधा के अनुपम और अद्वितीय उदाहरण थे । उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था । उनका आदर्श और त्याग हमारी प्रेरणा है । साथ ही अपने एवं सदन की ओर से देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया ।

[2] प्रश्नकाल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 06 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 103 तारांकित प्रश्न अनागत ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल द्वारा सदन के बाहर दिए गए बयान पर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने विषय को समय पर उठाने एवं अपने अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया । किन्तु माननीय सदस्यगण संबंधित विषय पर बहस की मांग करते रहें ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह सदन विमर्श की जगह है आप लोग शांति से विषय को रखेंगे तो उसे सुना जाएगा ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा आसन से संरक्षण मांग की गयी ।

इसी विषय पर सर्वश्री श्री अजीत शर्मा, श्री संजय सरावगी, श्री कुमार सर्वजीत, श्री अजय कुमार, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अवध विहारी चौधरी एवं श्री आलोक कुमार मेहता ने भी अपने-अपने विचार रखे ।

आसन द्वारा कहा गया कि कोई भी विषय आता है और आप इसे शान्ति से रखते हैं तो आसन सुनता है । इस सदन के गरिमा को आप सब ने मिल कर बढ़ाया है और गरिमा पर कोई संशय होगा तो विमर्श से उसका समाधान होगा । हमने संविधान की बड़ी किताबे मंगाई है और वह किताब सबको उपलब्ध कराएंगे और संवैधानिक अधिकार तथा कर्तव्य पर सदन में विमर्श भी होगा ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाए गए हैं जिसमें पहला माननीय सदस्य के बयान का हवाला देते हुए मतदान के अधिकार को खत्म करने की बात है, दुसरा आसन से संबंधित है तथा तीसरा मॉब लिंचिंग से संबंधित है । हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तब हम लोगों की सरकार है, किसी नागरिक की नागरिकता या उसके मतदान के अधिकार को कोई छिन नहीं सकता है । दुसरे मामले के संबंध में हम सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आसन स्वयं इस मामले को देख रहा है और अनुश्रवण कर रहा है तो कम से कम सदन को एवं सारे माननीय सदस्यों को आसन पर भरोसा होना चाहिए ।

तत्पश्चात् आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों से कहा गया कि जिन्हें आसन पर भरोसा है वे खड़े हो जाएं । सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर आसन पर अपना भरोसा जताया ।

आसन द्वारा कहा गया कि इतिहास गवाह रहेगा कि आसन पर सभी को भरोसा है ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य अवध विहारी चौधरी, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री संजय सरावगी सहित कई माननीय सदस्यों ने इन विषयों पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक करने की मांग की जिसका विपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक स्वर में समर्थन किया ।

सदन की भावना को देखते हुए आसन द्वारा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज 11.45 बजे पूर्वाह्न में उनके कार्यालय कक्ष में करने की घोषणा करते हुए सभा की कार्रवाही 12.25 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की गई ।

स्थगनोपरांत

(12.25 बजे अप० से 12.55 बजे तक)

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मुख्य रूप से सदन में जिन तीन मामलों पर चर्चा हुई थी उसके संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी :-

(i) संविधान में सभी की आस्था एवं सभी की जिम्मेवरी विषय पर सदन में विमर्श कराया जाएगा ।

(ii) दूसरा विषय जो प्रोटोकॉल से संदर्भित है एवं लखीसराय के विषय पर है इसमें विशेषाधिकार समिति इसे देख रही है और डी.जी.पी. बिहार ने 15 दिनों के अन्दर जांचोपरान्त रिपोर्ट देने की बात कही है इसलिए उनके रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जाए, तब तक सदन की भावना को देखते हुए डी.एस.पी. एवं दोनों थाना प्रभारी को थाना की जिम्मेवारी से हटा कर रखा जाए ताकि जांच की प्रक्रिया प्रभावित ना हो ।

(iii) तीसरा विषय जिसे माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ने उठाया था और जो विषय डी.जी.पी. से संबंधित है, उन्हें स्थिति स्पष्ट करने को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा ।

[6] **वित्तीय कार्य :-**

माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय-व्ययक के विवरण का उपस्थापन सदन में किया गया तथा बजट भाषण दिया गया ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तावकर्त्ता श्री नन्द किशोर यादव के भाषण के क्रम में विपक्ष के कई सभासदों द्वारा माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर आसन से यह जानना चाहा कि आसन का संदर्भित माननीय सदस्य से क्या बाते हुई ।

आसन द्वारा यह कहा गया कि माननीय सदस्य का संविधान में पूरी आस्था है और उन्होंने सदन के बाहर जो बातें कही हैं वह उन लोगों के संदर्भ में है जिन्हें संविधान में आस्था नहीं है । साथ ही आसन के निदेश पर माननीय सदस्य श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार विधान मंडल परिसर में दिए गए बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट की ।

किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण उनके बयान से संतुष्ट नहीं हुए एवं शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से बार-बार अपने स्थान पर जा कर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए सदन से वहिर्गमन कर गए ।

[7] **महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद :-**

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा इसका अनुमोदन किया गया तथा अपना-अपना पक्ष रखा गया ।

आसन से घोषणा की गई कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद दिनांक-02.03.2022 को भी जारी रहेगा ।

[8] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 6 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें ।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-02 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-28.02.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।